न्यायालय, श्री ____

तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली

राज्य/शिकायतकर्ता बनाम
शिकायतकर्ता ......(शिकायतकर्ता का नाम)....

प्र.सू.रि. संख्या :
धारा :
थाना : जिला
सुनवाई की अगली तारीख :

<u>'प्ली बार्गेनिंग' के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 265-डी के तहत शपथ-पत्र</u>

मैं,............................(आवेदक का नाम)............, आयु.................वर्ष (लगभग), शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि :

1. मैंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 265 बी (अध्याय 21) में दिए गए उपबंधों के अनुसार 'प्ली बार्गेनिंग' के लिए आवेदन बिना किसी दबाब के, स्वेच्छा से किया, है।

2. मैं यह कहता और स्वीकार करता हूँ कि मैंने आवेदन-पत्र के तथ्यों को भली-भाँति समझ लिया है और इस मामले में कानून के तहत दी जाने वाली सजा की प्रकृति और विस्तार के बारे में भली-भांति जानता हूँ।

3. मैं यह भी घोषित करता हूँ कि मुझे इससे पहले कभी भी इस तरह के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है जिसके लिए मुझे आरोपी बनाया गया है।

शपथकर्ता

सत्यापन :

दिनांक... को नई दिल्ली में सत्यापित किया जाता है कि इस हल्फनामें में जो भी सूचना दी गई है वह मेरे ज्ञान और जानकारी के अनुसार सत्य और सही है और मैं सत्य में विश्वास रखता हूँ। इस आवेदन में इस न्यायालय से मेरे द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है।

स्थान : ________________

दिनांक : ________________ **शपथकर्ता**

(आवेदन पत्र का नमूना)

न्यायालय, श्री ____

तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

राज्य/शिकायतकर्ता बनाम

शिकायतकर्ता ......(शिकायतकर्ता का नाम)....

प्र.सू.रि. संख्या :
धारा :
थाना : **जिला**
सुनवाई की अगली तारीख :

<u>'प्ली बार्गेनिंग' के संदर्भ में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 265-बी (अध्याय XXI ए) के तहत आवेदन-पत्र</u>

मैं आदरसहित घोषित करता हूँ :-

1. कि उपरोक्त मामले में आवेदक मुकदमें की सुनवाई का सामना कर रहा है।

2. कि उपरोक्त शिकायतकर्ता के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत अपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई है, जो श्री ______________________ जी के न्यायालय में विचाराधीन है और सुनवाई अवस्था (स्टेज) पर है।

3. कि शिकायत के अनुसार, आरोपी अभियुक्त धारा .... के तहत दंडनीय अपराध(ों) को स्वीकार करता है।

4. कि आवेदक ने अपने खिलाफ लगाए आरोपों की प्रकृति और विचाराधीन अपराध(ों) के लिए कानून के तहत दी जाने वाली सजा के विस्तार को भली-भांति जानते और समझते हुए स्वेच्छा से यह आवेदन किया है।

5. कि आवेदक को इससे पहले कभी भी किसी न्यायालय द्वारा ऐसे किसी मामलें में दोषी नहीं ठहराया गया है जिसमें उसे समान अपराध के लिए आरोपी बनाया गया हो।

प्रार्थना :

अतः, प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 265 में वर्णित उपबंधों के अनुसार **'प्ली बार्गेनिंग'** के इस आवेदन पर विचार करने की कृपया करें।

आवेदनकर्ता

दिल्ली **द्वारा**

दिनांक : **अधिवक्ता**

(आवेदन पत्र का नमूना)

न्यायालय, श्री ____

तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

राज्य/शिकायतकर्ता बनाम

शिकायतकर्ता ......(शिकायतकर्ता का नाम)....

प्र.सू.रि. संख्या :
धारा :
थाना : जिला
सुनवाई की अगली तारीख :

'प्ली बार्गेनिंग' के संदर्भ में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 265-बी (अध्याय XXI ए) के तहत आवेदन-पत्र

मैं आदरसहित घोषित करता हूँ :-

1. कि उपरोक्त मामले में आवेदक मुकदमें की सुनवाई का सामना कर रहा है।

2. कि उपरोक्त शिकायतकर्ता के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत अपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई है, जो श्री ________________________________, के न्यायालय में विचाराधीन है और सुनवाई अवस्था (स्टेज) पर है।

3. कि आरोप-पत्र के अनुसार, आरोपी अभियुक्त धारा .... के तहत दंडनीय अपराध(ों) को स्वीकार करता है।

4. कि आवेदक ने अपने खिलाफ लगाए आरोपों की प्रकृति और विचाराधीन अपराध(ों) के लिए कानून के तहत दी जाने वाली सजा के विस्तार को भली-भांति जानते और समझते हुए स्वेच्छा से यह आवेदन किया है।

5. कि आवेदक को इससे पहले कभी भी किसी न्यायालय द्वारा ऐसे किसी मामलें में दोषी नहीं ठहराया गया है जिसमें उसे समान अपराध के लिए आरोपी बनाया गया हो।

प्रार्थना :

अतः, प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 265 में वर्णित उपबंधों के अनुसार **'प्ली बार्गेनिंग'** के इस आवेदन पर विचार करने की कृपया करें।

आवेदनकर्ता

दिल्ली **द्वारा**
दिनांक : **अधिवक्ता**

प्ली बार्गेनिंग

स्वस्थ व अपराधमुक्त समाज की ओर
दिल्ली की न्यायपालिका का
एक अहं प्रयास

प्ली बार्गेनिंग क्या है

प्ली बार्गेनिंग एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा अपराधिक मुकदमों का पूर्णत: निपटारा किया जाता है। पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मुकदमें में प्ली बार्गेनिंग के तहत स्वैच्छिक समझौता आरोपी, जांच अधिकारी, सरकारी वकील और पीड़ित के बीच होता है। इसलिए इन सभी का किसी भी अपराधिक मामले को निपटाने के लिए सहमत होना आवश्यक है। इस प्रक्रिया के तहत आरोपी अपने उस अपराध को स्वेच्छा से स्वीकार करता है, जिसके लिए न्यायालय में उसके विरूद्ध मुकदमा विचाराधीन होता है।

अन्य सभी अपराधिक मामलों में समझौता आरोपी और पीड़ित के बीच होता है। इन दोनों पक्षों का अपराधिक मुकदमे के निपटारे के लिए स्वेच्छा से सहमत होना आवश्यक है। प्ली बार्गेनिंग के तहत आरोपी अपने उस अपराध को स्वेच्छा से स्वीकार कर लेता है जिसके लिए मुकदमा विचाराधीन है।

इस प्रक्रिया के तहत आरोपी और पीड़ित के बीच होने वाला स्वैच्छिक समझौता न्यायालय के मार्गदर्शन व निरीक्षण में होता है

प्ली बार्गेनिंग के लिए कौन आवेदन कर सकता है

कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और जिसके विरूद्ध मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन कर सकता है।

पर इस सामान्य नियम के कुछ अपवाद भी हैं जैसे :-

- आरोपी के द्वारा किए गए अपराध की अधिकतम सजा सात वर्ष से कम होनी चाहिए।
- अपराध महिला और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के प्रति न किया गया हो।
- आरोपी इससे पहले इस तरह के अपराध के लिए दोषी नहीं पाया गया हो।
- अपराध राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित नहीं करता हो।

राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को कौन से अपराध प्रभावित करते हैं?

- दहेज प्रतिबंधन अधिनियम, 1961
- सती निवारण अधिनियम, 1987
- महिलाओं का अनुचित प्रतिवेदन (वर्जित) अधिनियम, 1986
- अनैतिक अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1956
- महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम, 2005
- शिशुओं के दुग्ध प्रतिस्थापी, दूध पीने की बोतलें एवं शिशु आहार (उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरक) अधिनियम, 1992
- फल उत्पादक के विकल्प आदेश, 1973 (जिसे आवश्यक उपयोगी वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत जारी किया)
- मांसाहारी पदार्थ आदेश, 1973 (जिसे आवश्यक उपयोगी वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत जारी किया गया)
- पशुओं के संबंध में अपराध जो अनुसूची 1 व अनुसूची 2 के भाग 2 में पाया जाता है। इसके साथ-साथ सुरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं से संबंधित अपराध जोकि वन्य सुरक्षा अधिनियम 1972 के अन्तर्गत आते हैं।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
- नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1955 में वर्णित अपराध
- धारा 23 से 28 तक बाल न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम, 2000 में वर्णित अपराध
- सशस्त्र बल अधिनियम, 1950
- वायु सेना अधिनियम, 1950
- जल सेना अधिनियम, 1957
- धारा 59 से 81 और 83 में निर्दिष्ट अपराध, दिल्ली मैट्रो रेलवे (संचालन व देखभाल) अधिनियम, 2002
- विस्फोटक अधिनियम, 1884
- धारा 11 से 18 में निर्दिष्ट अपराध, केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, 1995
- चलचित्र अधिनियम, 1952

प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया क्या है

(i) आरोपी को उस न्यायालय में आवेदन करना होता है जिसमें उसका अपराधिक मुकदमा विचाराधीन है।

(ii) आवेदन पत्र में मुकदमे का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए।

(iii) आरोपी का शपथ पत्र कि उसने आवेदन स्वेच्छापूर्वक दिया है और इससे पूर्व वह इस तरह के अपराध के लिए दोषी नहीं पाया गया है।

(iv) आवेदन प्राप्त होने के पश्चात न्यायालय मुकदमे से संबंधित पक्षों को आवेदन की सूचना देता है और संबंधित पक्षों को मुकदमे को समझौते के द्वारा निपटाने में सहायता करता है।

(v) आपसी समझौता होने के बाद न्यायालय इसके संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें सभी पक्षों के हस्ताक्षर होते हैं और इस तरह मामले का निपटारा कर दिया जाता है।

(vi) यदि किसी मामले में समझौता नहीं होता है तो उसमें कानून के अनुसार सुनवाई होती है।

प्ली बार्गेनिंग के लाभ

1 यदि प्ली बार्गेन सफल होता है तो आरोपी निम्नलिखित लाभ प्राप्त करता है:-

(i) अगर अपराध के लिए न्यूनतम सजा का प्रावधान है तो आरोपी को उस न्यूनतम सजा की आधी या उससे कम सजा दी जा सकती है।

(ii) अगर न्यूनतम सजा का प्रावधान नहीं है तो आरोपी को अधिकतम सजा की एक चौथाई या उससे कम सजा दी जा सकती है।

(iii) आरोपी को सजा न देकर केवल डांट-फटकार के द्वारा उसे उसकी गलती का अहसास करवाकर नेक चाल-चलन के आधार पर छोड़ा भी जा सकता है।

(iv) अगर आरोपी किसी भी अवधि के लिए जेल में रहा है तो उसे सजा की उस अवधि का लाभ दिया जाएगा।

2. अपराध से पीड़ित व्यक्ति समझौते के अनुसार मुआवजा/हर्जाना प्राप्त करने का अधिकारी होता है।

3. जब प्ली बार्गेन के तहत हुआ समझौता न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो मुकदमे का अंतिम रूप से निपटारा हो जाता है और इस स्थिति में किसी भी प्रकार की अपील का प्रावधान नहीं है।

   पर समझौते से संबंधित पक्ष संविधान के अनुच्छेद 136, 226 और 227 के अन्तर्गत रिट याचिका के माध्यम से प्ली बार्गेनिंग को चुनौती दे सकता है।

4. आरोपी द्वारा अपराध की स्वीकृति उसके विरूद्ध किन्हीं अन्य मामलों में या किसी और उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती है।

प्ली बार्गेनिंग के तहत आरोपी और कौन से फायदे मिलते हैं :-

(i) मुकदमे की सुनवाई और अंतिम फैंसले का इंजतार नहीं करना पड़ता और मामला शीघ्र निपट जाता है।

(ii) आरोपी अपने अपराध को स्वीकार करता है इसलिए उसे बोलने की छूट दी जाती है और इसके साथ ही वह मुकदमें की कार्यवाही से बच जाता है। इससे धन और समय की भी बचत होती है।

(iii) आरोपी को वादी के आरोपों को जवाब नहीं देना पड़ता।

(iv) उसे अपने पक्ष में गवाह पेश करने की जरूरत नहीं होती।

(v) आरोपी किसी भी तरह की शंका से परे सबूतों के द्वारा स्वयं को दोषी ठहराए जाने से भी बच जाता है।